

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
निगम कार्यालय
गच्छी बाउली :: हैदराबाद

संदर्भ : बीडीएल/04/नि.-मा.सं./2021

दि. 12.04.2021

मानव संसाधन

परिपत्र


विषय : कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के निदानात्मक उपायों के संबंध में।

दि. 23.2.2021 की परिपत्र सं. बीडीएल/04/नि.-मा.सं./2021 के क्रम में और तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 मामलों के संबंध में सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि कोविड-19 के निम्नलिखित निदानात्मक उपायों का सख्ती से पालन करें :

- i. हमेशा मास्क पहने रहें।
 - ii. जहाँ तक संभव हो, दो गज की दूरी बनाये रखें।
 - iii. हाथ गंधे न होते हुए भी बार-बार हाथ धोएँ (कम से कम 40 से 60 सेकण्ड तक) और अल्कोहॉल आधारित सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकण्ड तक) इस्तेमाल करें।
 - iv. छींकते-खाँसते समय शिष्टाचार का पालन करें।
 - v. समूहों में आना-जाना न करें।
2. परिपत्रों के माध्यम से लगातार अपील करने के बावजूद देखने में आया है कि कुछ कर्मचारी समूहों में घूम रहे हैं और कैंटीन आदि जगह समूहों में जमा हो रहे हैं। फेस-मास्क भी सही ढंग से नहीं पहन रहे हैं। इससे साथी कर्मचारियों को नुकसान पहुँचेगा तथा कोविड-19 का वायरस और तेजी से फैलेगा। आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीसी टी वी के ज़रिए कर्मचारियों के आवागमन पर निगरानी की जाएगी। कोविड-19 के निदानात्मक उपायों का पालन न करने वाले कर्मचारियों को पहचान कर उनके प्रति उचित कार्रवाई की जाएगी।
3. अतः सभी कर्मचारियों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि एकजुट होकर फिर से फैल रही इस कोविड-19 महामारी से लड़ें और संगठन को बचाएँ।

“एकजुट होकर कोविड-19 महामारी से लड़ें”

अपने परिवार और अपने साथियों के बारे में सोचें और ध्यान रखें।


(ए सतीश चक्रवर्ती)

उ.म.प्र., नि.-मा.सं. (टी ए अण्ड ओ डी)

वितरण :

सभी संबंधित

अधिकारी संघ / मान्यताप्राप्त यूनियन

प्रति सूचनार्थ :

निदेशक (तकनीकी), निदेशक (उत्पादन), निदेशक (वित्त), मुख्य सतर्कता अधिकारी

सी एम डी के कार्यपालक सहायक – सी महोदय के सूचनार्थ।